

16.06.2016

राज्य की ओर से श्रीमती अनिता खरे, लोक अभियोजक उप.।

अभियुक्त अनिष उर्फ मिन्दु अनुपस्थित। उसे जारी गिरफ्तारी वारंट अदम तामील इस रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ कि अभियुक्त अपने दर्शित पते ग्राम खैरीटेक थाना सिवनी जिला सिवनी में नहीं रहता है, उसका पता नहीं चल रहा है और वह फरार हो गया है।

इस संबंध में सहायक उपनिरीक्षक फुलसिंह परते जिन्होंने वारंट तामील किया है, न्यायालय में उपस्थित हुये, उनका कथन अभियुक्त के फरारी के संबंध में लिया गया। फुलसिंह परते ने इस बात की तस्दीक की कि अभियुक्त का कोई पता नहीं चल रहा है। ग्राम खैरीटेक थाना सिवनी में अभियुक्त के नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है।

इसके पूर्व भी आदेश पत्रिका दिनांक 30.09.15 के अनुसार अभियुक्त को जारी गिरफ्तारी वारंट इस टीप के साथ प्राप्त हुआ था कि अभियुक्त अपने दर्शित पते पर नहीं रहता है, वह फरार हो गया है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अभियुक्त इस प्रकरण में गिरफ्तारी से बचने के लिये अपनी सकुनत से फरार हो गया है, उसके निकट भविष्य में मिलने के कोई संभावना नहीं है। अतः उसे फरार घोषित किया जाता है, उसके विरुद्ध बेमियादी(स्थाई) गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाये।

परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार इस टीप के साथ दाखिल किया जाये कि प्रकरण में अभियुक्त फरार है, नस्ती सुरक्षित रखी जाये।

(दीपक कुमार अग्रवाल)

सत्र न्यायाधीश,

बालाघाट